के लिए निम्नलिखित नए क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट किया गया है :

मध्य प्रदेश -- ताधिया,
अनहोनी,
देवारी और
खावेरा

महाराष्ट्र -- पदमपुर
उमारठी

आन्ध्र प्रदेश -- नगारम
अम्बराम्पेट और
प्रानहिता-गोदावरी
ग्राबेन

गुजरात -- कैम्बे की खाड़ी

राजस्थान -- मियाजलार सब-बेसिन

उत्तर प्रदेश -- गंगा घाटी में बहरासपुर
डिप्रेसन और बहराइच को

इन क्षेत्रों में ड्रिलिंग के काम को आठवीं योजना की अवधि के दौरान हाथ में लिये जाने की संभावना है।

Rate of Royalty on Crude Oil

769. SHRI RAOOF VALIULLAH: Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have enhanced the rate of royalty on crude oil, payable to the States, by Rs. 100/- per tonne; if so, on what basis this decision has been taken and whether this is an ad-hoc increase;

(b) when the decision was taken and when it was conveyed to Gujarat Government and whether the additional amount has been paid to the State Government by the oil companies; and

(c) whether Government are considering the demand of Gujarat Government to enhance the rate of royalty to Rs. 682.50 paise per tonne; if so, by when a final decision is likely to be taken ?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI M. S. GURUPADASWAMY): (a) to (c) The revision of the rate of royalty on crude oil is under review in consultation with the concerned State Governments. In the meanwhile, an ad-hoc payment of Rs. 100/- per metric tonne is proposed to be made for 1989-90 which would be adjusted against the final revision of the rate of royalty.

कच्चे तेल (क्रूड आयल) पर दी जाने वाली रायल्टी

770. श्री मीर्जा इर्शादबेग : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री 7 अगस्त, 1989 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 2490 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल क्षेत्र (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1948 को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम.एस. गुरुपदस्वामी) : (क) और (ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के सामने नहीं है।